प्रेस नोट

दिनाँक 14.12.2025

जनपद-संतकबीरनगर

थाना कोतवाली खलीलाबाद पर दिनांक 09.12.2025 को प्राप्त लूट की सूचना की निकली झूठी

लूट की सूचना की जांच में मारपीट की घटना आने पर की गई विधिक कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री पंकज कुमार पाण्डेय की गठित टीम द्वारा आज दिनांक 14.12.2025 को अभियुक्तगण नाम पता 01. शिवम चौधरी पुत्र राजदेव चौधरी 02. जय हिन्द पुत्र बसन्त निवासीगण पिपराकला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को डीघा बाइपास से गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 10.12.2025 को वादी श्री साधु शरन मौर्या पुत्र श्री रामपियारे निवासी बेलवनिया वार्ड नं0 05 खलीलाबाद थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर दिनांक 09.12.2025 को बेलवनिया जाते समय मंझरिया पशु बाजर के पास पहुंचने पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी को मारे पीटे व 20,000 रुपया छीन लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 1152/2025 धारा 115(2)/309(4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जांच के क्रम में लूट की घटना झूठी पायी गयी जिसके कारण धारा 304(4) बीएनएस विलोपित किया गया है तथा जांच में मार पीट की घटना मिलने पर धारा 351(3),352 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

01. शिवम चौधरी पुत्र राजदेव चौधरी निवासी पिपराकला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

02. जय हिन्द पुत्र बसन्त निवासी पिपराकला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

***बरामदगी विवरण*-** एक अदद मोटरसाइकिल सीज एमवी एक्ट।

पूछताछ विवरणः- गिरफ्तार किये गये अभियुक्तो से पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि वादी की सहजनवा में कास्मेटिक/आर्टिफीसियल की दुकान पर एक लड़की काम करती है जिसपर वादी द्वारा लड़की के द्वारा फोन पर बात करने से रोका टोका जाता था जो अभियुक्त शिवम को नागवार गुजरा, इसी बात को लेकर अभियुक्त शिवम चौधरी अपने दोस्तो के साथ मिलकर दिनांक 09.12.2025 को दुकान से आते वक्त मंझरिया पशु बाजार के पास गाली गलौज करते हुए मार पीट किया गया था।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः- व0उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार यादव, उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्र, हे0का0 छोटेलाल, का0 राजन यादव, का0 मनीष यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6889 द्वारा मारपीट में 03 घायल व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 6889 थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत हकीमपुर दो पक्षो में मारपीट / विवाद में घायल 03 व्यक्तियो (1.संदीप पुत्र जगलाल 2.बबीता पत्नी संदीप 3.सरस्वती पत्नी रामस्वारे निवासी हकीमपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियो द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर मारपीट विवाद में घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी0 मलौली भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर उक्त घायलो को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी0 मलौली भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आ० ऋषभ राय, आरक्षी पंकज यादव, हो०चा0 नागेन्द्र प्रसाद।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 242 वाहनों से 3,07,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 14.12.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 242 वाहनों से 3,07,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।